बिहार सरकार,
जल संसाधन विभाग।

अधिसूचना 2414
11.05.15 पटना–15, दिनांक :–

बिहार जल संसाधन विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली–2015

सं0–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1– / भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग में भर्त्ती को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

भाग–I

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** – (1) यह नियमावली "बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली–2015" कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएँ – इस नियमावली में जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के प्रतिकूल न हो :–**

(i) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;
(ii) "विभाग" से अभिप्रेत है, जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है, जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख (मध्य) अथवा विभाग द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी ;
(iv) "आयोग" से अभिप्रेत है, बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग अथवा उसके कार्यरत होने तक बिहार कर्मचारी चयन आयोग
(v) "संवर्ग" से अभिप्रेत है, बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग ;
(vi) "संवर्ग के सदस्य" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन नियमित रूप से नियुक्त एवं कार्यरत व्यक्ति ;

3. **संवर्ग का गठन**:–बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के अधीन मूल कोटि का पद "कनीय अभियंता (असैनिक)" होगा। इस पद के लिए सरकार द्वारा, समय–समय पर यथा विनिश्चित वेतनमान एवं ग्रेड– पे देय होगा।

4. **स्वीकृत बल** :– इस संवर्ग का स्वीकृत बल समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जायेगा।
5. **आरक्षण** :– बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम–1991 (समय–समय पर यथा संशोधित)

एवं उसके अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधान तथा राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा विहित रोस्टर, संवर्ग में नियुक्ति करने तथा प्रोन्नति देने में लागू होंगे।

भाग–II

संवर्ग में नियुक्ति

6. **नियुक्ति** :– इस संवर्ग में प्रथम नियुक्ति सीधी भर्त्ती के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर होगी। इस पद पर प्रोन्नति के आधार पर कोई प्रवेश नहीं होगा।

7. नियुक्ति प्राधिकार द्वारा प्रत्येक वर्ष पहली अप्रैल को रिक्तियों की गणना कोटिवार की जाएगी एवं तद्नुसार विभाग के माध्यम से आयोग को 30 अप्रैल तक आरक्षण कोटिवार अधियाचना भेजी जायेगी।

8. नियम–7 के तहत दी गई अधियाचना के अधार पर आयोग द्वारा समय–समय पर, उस रीति से जैसा की वह उचित समझे, इस संवर्ग की आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को, सीधी भर्त्ती द्वारा, नियुक्ति से भरनेके लिये विज्ञापित करेगा।

9 **अहर्ताएँ।–(1)** इस संवर्ग में नियुक्त होने के लिए अहर्ता निम्नवत् होगी :–

(i) सरकार के विशेष आदेश को छोड़कर, अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

(ii) अवर अभियंत्रण संवर्ग के लिए असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यताधारी।

(iii) चयन हेतु तकनीकी योग्यता/ अहर्ता :–

(क) AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा निर्गत असैनिक अभियंत्रण में डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता, जिसे State Technical Board से मान्यता प्राप्त हो, अथवा

(ख) Deemed University under UGC Act द्वारा निर्गत Non-Distance Mode Diploma in Civil Engineering अथवा समकक्ष योग्यता

(2) अधियाचना वर्ष के 1ली अगस्त को अभ्यर्थी की उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) के द्वारा समय–समय पर आरक्षण कोटिवार विनिश्चित उम्र सीमा के अन्तर्गत होना चाहिए किन्तु संविदा के आधार पर पूर्व से नियोजित कनीय अभियंताओं (असैनिक) हेतु अधिकतम उम्र सीमा में अधिकतम 10 वर्षो की छूट अनुमान्य होगी।

10. **चयन की प्रक्रिया** (1) इस संवर्ग के मूल कोटि {कनीय अभियंता (असैनिक)} के पदों पर चयन डिप्लोमाअथवा समकक्ष योग्यता में प्रतिशत प्राप्तांक तथा साक्षात्कार

(मौखिक परीक्षा) के आधार पर आयोग द्वारा किया जायेगा। बिहार सरकार या बिहार सरकार के अधीन किसी उपक्रम/ निगम/ निकाय/ प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी, जो इस संवर्ग में भर्ती की अर्हत्ता पूरी करते हैं, को चयन में इस नियम के उप नियम–(2) के अनुसार अतिरिक्त अंक देकर अधिमानता दी जाएगी।

(2) अभ्यर्थियों की मेधा सूची निम्न आधार पर तैयार की जाएगी –

			पूर्णांक
(क)	डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर	–	60 अंक
(ख)	संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता (प्रति कार्यरत वर्ष के लिए 5 अंक जिसकी अधिकतम सीमा 25 अंक की होगी। किसी वर्ष के अंश के लिए कार्यरत दिवसों की संख्या में संख्या 5 से गुणा करने के पश्चात् 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा)	–	25 अंक
(ग)	साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा)	–	15 अंक
	कुल	–	100 अंक

(3) संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का विनिश्चिय संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र के आधार पर किया जाएगा। इस हेतु आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में अंकित कट–आफ डेट की अवधि तक की गणना कार्य अनुभव के लिए की जा सकेगी।

11. साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यार्थियों की संख्या रिक्तियों के अनुपात में, आयोग द्वारा विनिश्चित की जायेगी। आयोग द्वारा नियम–10 के अनुसार चयनित उम्मीदवारों की अंतिम मेघा सूची तैयार की जाएगी एवं उसे सरकार को नियुक्ति हेतु अनुशंसित की जायेगी। आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों का पैनल एक वर्ष के लिए वैध होगा।

भाग–III

प्रोन्नति एवं वरीयता

12. **प्रोन्नति :–** कनीय अभियंता (असैनिक) के पद से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति बिहार अभियंत्रण सेवा नियमावली में विनिश्चित प्रावधानों के अन्तर्गत होगी।

13. **वरीयता का अवधारण–** आयोग द्वारा अनुशंसित मेघा कमांक के अनुसार कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर वरीयता का अवधारण विभाग द्वारा किया जायेगा। पूर्व से नियुक्त एवं कार्यरत कनीय अभियंताओं की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।

भाग–IV
प्रकीर्ण

14. **अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील** (1) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एंव अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथासंशोधित) के प्रावधान अनुशासन, नियंत्रण एवं अपील के मामले में, बिहार जल संसाधन विभाग अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग के सदस्यों पर लागू होंगे।

(2) इस नियमावली में विशिष्ट रुप से अनुपबंधित सेवा शर्तें बिहार सेवा संहिता एवं राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर जारी अन्य निर्णयों से शासित होगी।

15. **कठिनाइयों का निराकरण**– इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, विधि विभाग से परामर्श के पश्चात, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो, ऐसा प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाईयों के निराकरण के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता हो।

16. **अवशिष्ट मामले** :– (1) इस संवर्ग के सभी अवशिष्ट मामले जल संसाधन विभाग के प्राधिकार क्षेत्र में होंगे।

(2) इस नियमावली में से किसी भी नियम के निवर्चन कोई संदेह की दशा में उसे विभाग को निर्दिष्ट किया जाएगा, और जिस पर विभाग का विनिश्चय, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात्, अंतिम होगा।

17. **निरसन एवं व्यावृति**– (1) इस संदर्भ में वर्त्तमान नियमों/ विनियमों को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी वर्त्तमान नियमों/विनियमों के अधीन किया गया अथवा की गयी कार्रवाई इस नियमावली के प्रावधानों के अधीन किया गया अथवा की गयी मानी जायेगी मानों यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जब ऐसा कुछ भी किया गया अथवा ऐसी कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

दिनांक– 11.05.15

सं0–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ बिहार जल संसाधन विभाग, अवर अभियंत्रण (असैनिक) संवर्ग भर्ती नियमावली–2015 का अंग्रेज़ी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार– राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेज़ी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली–2015 का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

Date- 11.05.15

BIHAR WATER RESOURCES DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (CIVIL) CADRE RECRUITMENT RULES-2015.

No.-9/Estt.-11-1139/2006 part-1- 2414/ In exercise of the powers conferred under the proviso to Article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment of Bihar Water Resources Department Subordinate Engineering (civil) cadre :-

Part-I

1. **Short title, extent and commencement** - (1) These Rules may be called the "BIHAR WATER RESOURCES DEPARTMENT SUBORDINATE ENGINEERING (CIVIL) CADRE RECRUITMENT RULES-2015".

   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

   (3) It shall come in force at once.

2. **Definition** -In these Rules, unless anything is not contrary to the subject or context :-

   (i) "Government" means the Government of Bihar;
   (ii) "Department" means Water Resources Department, Government of Bihar;

   (iii) "Appointing Authority" means the Engineer-in- Chief (Central) of Water Resources Department or any other officer authorized by the department for this purpose;

(iv) "Commission" means Bihar Technical Staff Selection Commission or Bihar Staff Selection Commission till it starts functioning;

(v) "Cadre" means Bihar Water Resources Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre;

(vi) "Member of Cadre" means, all persons, regularly appointed and working under the provisions of these Rules.

3. **Constitution of the cadre** - Designations of the basic grade post under the Bihar Water Resources Department Subordinate Engineering (Civil) Cadre shall be known as "Junior Engineer (Civil)". The pay scale and grade pay for this post, shall be admissible as determined by the Government. from time to time.

4. **Sanctioned strength** - The sanctioned strength of this Cadre shall be determined by the State Government, from time to time.

5. **Reservation** - The provisions of the Bihar Reservation of Vacancies in posts and services (for Scheduled casts, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act- 1991 (as amended from time to time) and the Rules made there under and Roaster as prescribed by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointment and promotions in the cadre.

<u>Part-II</u>

6. **Appointment** - First appointment in this Cadre will be by direct recruitment to the post of Junior Engineer (Civil). There shall be no entry on this post on the basis of promotion.

7. The appointing authority shall calculate the category wise vacancies on Ist April of every year and accordingly, the reservation category wise requisition will be sent through the department to the Commission by 30th April of every year.

8. On the basis of requisition given under Rule-7, the Commission, by such manner as it may deem proper, shall advertise appointment against the reservation category wise vacancies of this Cadre to be filled by direct recruitment.

9. **Qualifications** - (1) Qualifications for appointment in this cadre shall be as follows :-

(i) A candidate must be a citizen of India except the special order of the Government.
(ii) For the subordinate Engineering Cadre, diploma or equivalent qualification holder in civil engineering.
(iii) Technical qualification/ eligibilities for selection :-
(a) Diploma or Equivalent qualification in Civil Engineering issued by the institutes recognized by **AICTE,** which has obtained recognition from the State Technical Board or
(b) Non-Distance Mode Diploma in Civil Engineering or equivalent qualification issued by Deemed University under UGC ACT.

(2) Age of applicant must not be less than 18 (eighteen) years as on first August of the year of requisition. Maximum age shall be within the reservation category wise limit determined by the State Government (General Administrative Department) from time to time. But relaxation of maximum 10 (ten) years will be admissible to the Junior Engineers (Civil), already employed on contract basis, in the maximum age- limit.

10. **procedure of selection** :- (1) Selection to the posts of basic category of this cadre i.e. (Junior Engineer (Civil) shall be made by the Commission on the basis of percentage of marks obtained in Diploma or equivalent qualification as well as Interview (viva voce). Such candidates having experience of working on the post of Junior Engineer (Civil) on contract basis under the Government of Bihar or in any undertaking/body/ corporation/ entity/ Authority/ autonomous body under the Government of Bihar, who fulfill the qualifications of the recruitment in this cadre, shall be given preference by giving additional marks according to sub rule (2) of this Rule.

(2) Merit list of candidates shall be prepared on the following basis :-

			Full Marks
(a)	On the basis of percentage of marks obtained in Diploma (Civil) or equivalent qualification	-	60
(b)	Maximum weightage for the working experience on contract basis (weightage of per working year shall be 5 marks maximum limit of which will be up to 25 marks. For part of any year, obtained proportionate mark by dividing by 365 to the no. of working	-	25

days in that year multiplying by number 5, will be added)

(c) Interview (viva voce) - 15

Total - 100 Marks

(3) Determination of working period on the contract basis shall be made on the basis of Payment Certificate issued by their respective controlling officers. For this, the period up to the cut off date mentioned in the advertisement published by the Commission shall be calculated for the working experience.

11. Number of candidates called for Interview shall be determined by the Commission in proportion to the vacancies. The Commission shall prepare final merit- list of selected candidates according to Rule-10 and shall recommend to the Government for appointment. The panel of candidates recommended by the Commission shall be valid for one year.

Part- III

Promotion and seniority

12. **Promotion** - Promotion from Junior Engineer (Civil) to higher post will be as per provision made in Bihar Engineering service cadre rule.

13. **Determination of Seniority** - seniority of the Engineers holding the post of Junior Engineer (Civil) shall be determined by the department in accordance with the merit list recommended by the Commission. Seniority of already appointed and working Junior engineers (civil) shall be unaffected.

Part - IV
Miscellaneous

14. **Discipline, Control and Appeal** -(1) The provisions of The Bihar Government servants (Classification, Control and Appeal) Rules-2005 (as amended from time to time) shall apply to the member of The Bihar Water Resources Department subordinate Engineer (civil) Cadre in the matters of discipline, controls and appeals.

(2) Service conditions particularly not provided under these rules, shall be governed by the Bihar Service Code and other decisions issued by the State Government, from time to time.

15. **Removal of Difficulties** :- If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of these Rules, the Government, after consultation with the Law Department may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not in-consistent with the provisions of these Rules, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

16. **Residual matters** -(1) All residual matters of this cadre shall be under the jurisdiction of Water Resources Department.

(2) In case of any doubt in the interpretation of any rule of these Rules, the same will be referred to the Department and the decision of the Department, after consultation with Law Department, shall be final.

17. **Repeal and savings** - (1)The existing rules & regulations in this context are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provision of existing rules/ regulation shall be deemed to be done or taken under the corresponding provisions of these Rules as if these Rules were come into force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor

8/5/15

(Dipak Kumar Singh)
Secretary
Water Resources Department

ज्ञापांक–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ पटना–15, दिनांक– 11.05.15
प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/5/15

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ पटना–15, दिनांक– 11.05.15

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, ई0 गजट कोषांग, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ जल संसाधन विभाग को भेजने की कृपा की जाय।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ पटना–15, दिनांक– 11.05.15

प्रतिलिपिः– राज्यपाल के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, बिहार/मुख्य सचिव, बिहार/सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ संबंधित कोषागार/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/ सचिव, बिहार विधान सभा/ विधान परिषद/ मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ पटना–15, दिनांक– 11.05.15

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/ सभी संयुक्त सचिव/सभी अभियंता प्रमुख/ निदेशक, भू–अर्जन एवं पूनर्वास/सभी उप सचिव / सभी अवर सचिव /सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–9/स्था0 –11–1139/2006 अंश–1–2415/ पटना–15, दिनांक– 11.05.15

प्रतिलिपिः–प्रभारी, कम्प्यूटर कोषांग, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के सचिव।